

**कार्यालय
जनित, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
बजार इंदौर मध्यप्रदेश।**

संख्या: - कार्यालय/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनगढ़ दिनांक: 16-5-2019

- कार्यालयीय कार्य -

अखिल भारतीय स्कूलों की शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु दिल्ली, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण कार्यक्रमों की अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनगढ़ से सम्बद्धता/लखनगढ़ विद्यालय प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनगढ़ संस्थाओं की संस्थाओं में प्राथमिक कार्यालय से निवेदन किया गया। इसमें सत्र 2019-20 हेतु आवेदन पत्र संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं का सम्बद्धता विद्यालय/सम्बद्धता/प्रकार संस्थाओं की संस्थाओं हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

इसके अन्तर्गत से सम्बद्धता समिति की बैठक के पट्टे-3 में दिल्ली में इन कार्यों के अन्तर्गत स्थापित करने वाली संस्थाओं की संस्थाओं को प्रदान किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान विद्यालय-विद्यालय का निर्णय किया गया।

ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अन्तर्गत से संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्धता दिल्ली में कार्यों के अन्तर्गत से समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस पत्र के साथ किया गया कि संस्थाओं को दिल्ली में इन कार्यों के अन्तर्गत से प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्थाओं सत्र 2019-20 हेतु अखिल भारतीय परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यालय द्वारा होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ही की जाएगी।"

अतः निम्नप्रकार प्राथमिक संस्थाओं को निर्णय समिति एवं अध्यक्ष-दिल्ली में कार्य की संस्थाओं का संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्धता दिल्ली में कार्य के अन्तर्गत से अखिल भारतीय परीक्षा परिषद, लखनगढ़ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निर्णय समिति की बैठक के अन्तर्गत से प्रदान किया गया। प्रवेश संस्थाओं हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	कार्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पत्र संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से प्रदान	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदन प्रदान
1	2014	ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये संस्थाओं का नाम	दिल्ली में कार्य	10	10

संलग्नक हेतु अर्थ

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्णय की गई संस्थाओं का निर्णय प्रदान करेगी।
- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्णय प्रदान किये गये संस्थाओं को अखिल भारतीय परीक्षा परिषद दिल्ली में कार्य के अन्तर्गत से प्रदान किया गया। प्रवेश संस्थाओं हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 10-9-2020

-कार्यालय भ्रम-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय अध्यापित्त आिक इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु किलोवात सार्वभौमिक तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्प्रेत संरचना के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को संस्था प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्प्रेत संरचना को अध्यापित्त में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में एमिनेटि द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अध्यापित्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ति में संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/अंश समता सुद्धि सहित अन्य नतीजा विचार-कला हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के मद्र-3 में दिशाना इन कार्यों को संपन्न सहायित करने वाली पूर्ति में सम्बद्ध संस्थाओं को प्रकला करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विपरीत कर निम्नलिा निर्णय लिया गया -

"गिरी टीच के स्थापित विभागा इन कार्यों को संपन्न सहायित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्प्रेत संरचना के पूर्ति में सम्बद्ध हैं, एत सत्र 2020-21 हेतु पीठरीठमार्ग द्वारा उन्हें सहायत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीठमार्ग द्वारा प्रदान किया नये अनुमोदन विस्तार के अनुसार प्रकला प्राप्त के संपन्न अधिका पाठ्यक्रम/अंश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद में सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने पर एमिनेटि द्वारा विचार-विपरीत किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरीठमार्ग द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद में सम्बद्धता विस्तार दिए जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को साझा सम्बद्धता समिति को बैठक में दिए गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्प्रेत संरचना द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिा कला के अधिन पाठ्यक्रम एवं समता अधिका प्रकला समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं. सं. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीठमार्ग द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रकला समता	पीठरीठमार्ग द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रकला समता
1	2024	संस्था का नाम	विशेष रूप में	88	88

सम्बद्धता हेतु कला

- ✓ संस्था एडमिनिस्ट्रेशन/पीठरीठमार्ग द्वारा निर्धारित की गली कला का पूर्णतः संपन्न करनी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रकला प्राविधिक शिक्षा परिषद एत 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विभागाकारी 1982 केमिनेटि विभागाकारी-2018 तथा अन्य विभिन्न निर्णय एवं अधिका का अनुमोदन करनी तथा सुक विभागा समिति द्वारा निर्धारित सुक सत्र 2020-21 पाठ्यक्रमों हेतु रु. 20,00,000/- प्रकला, जो सत्रीय कार्यों को संपन्न हेतु रु. 40,00,000/- समिता एवं एक सत्र को सत्रीय पाठ्यक्रमों (या सत्रीय कार्यों को संपन्न के समिता) हेतु रु. 20,00,000 (20 करोड़) सुक ही समिता प्रकला/सत्र के प्रकला किया जायेगा। उपरोक्त में अधिका प्रकला/सत्रों में सुक में समता में सत्र-सत्र के समिता द्वारा निर्णय किए जाने वाले सत्र-सत्र प्रकला करनी करनी, और सत्र-सत्र अधिका किया

(Handwritten signature)

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2724-F.I.PHARMACY COLLEGE 223, KHANDDEV BANTHARA, KANPUR ROAD, LUCKNOW			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया

जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, F.I. PHARMACY COLLEGE 223, KHANDDEV BANTHARA, KANPUR ROAD,
LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव